

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

भाग – I

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 2003

संख्या लैज, 1/2003 — दि हरियाणा लोकायुक्त ऐक्ट, 2002, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 11 मार्च, 2003, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जायेगा :-

2003 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1

हरियाणा लोकयुक्त अधिनियम, 2002

लोक सेवकों के विरुद्ध अभिकथनों तथा शिकायतों तथा उनसे सम्बद्ध
मामलों की जांच तथा छानबीन करने के लिए
लोकायुक्त की नियुक्ति तथा कृत्यों का
उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002, कहा जा सकता है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम करे।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "कार्य" से अभिप्राय है, किसी लोक सेवक द्वारा विनिश्चय, सिफारिश, या निष्कर्ष के रूप में या किसी अन्य रीति में की गई प्रशासनिक कार्यवाई और इसमें कार्य करने में जानबूझ कर असफलता तथा ऐसी कार्यवाई से सम्बन्धित सभी अन्य अभिव्यक्तियां शामिल होंगी तथा तदनुसार उनका अर्थ लगाया जाएगा ;

(ख) किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में, "अभिकथन" से अभिप्राय है, कोई भी अभिपुष्टि कि ऐसे लोक सेवक—

(i) ने स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक लाभ पहुंचाने या पक्षपात करने के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक कष्ट या क्षति पहुंचाने के लिए इस रूप में अपनी हैसियत का जानबूझ कर तथा साभिप्राय दुरुपयोग किया है ;

(ii) व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्ट प्रयोजनों द्वारा ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगा हुआ था ; या

(iii) ऐसे लोक सेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार का दोषी है, ईमानदारी में कमी है ; या

(iv) अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत साधन या सम्पत्ति उसके कब्जे में है तथा ऐसे आर्थिक साधन या सम्पत्ति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण की गई है ;

(ग) "मुख्य मंत्री" से अभिप्राय है, मंत्री-परिषद् का मुखिया ;

(घ) निम्नलिखित के विरुद्ध किसी शिकायत के सम्बन्ध में "समक्ष प्राधिकारी" से अभिप्राय है —

(i) मुख्य मंत्री : अपने स्व-विवेक में राज्यपाल ;

(ii) सभी अन्य लोक सेवक : मुख्य मंत्री ;

(ङ) "शिकायत" से अभिप्राय है, कोई शिकायत, जिसमें किसी लोक सेवक द्वारा किया गया कोई अभिकथन या शिकायत का कृत्य अधिरोपित है ;

(च) "भ्रष्टाचार" में भारतीय दंड संहिता, 1860, के अध्याय IX के अधीन या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, अथवा भ्रष्टाचार निवारण के लिये तत्समय लागू किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई कृत्य शामिल है ;

(छ) "राज्यपाल" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य का राज्यपाल ;

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

(ज) "शिकायत" से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति द्वारा दावा कि अधिकार जिसका वह हकदार है, उसे इन्कार किया जाता है या किसी लोक सेवक के कार्य की भूल-चूक या किसी कृत्य द्वारा अयुक्तियुक्त विलम्बित किया गया है या कार्य जिसकी शिकायत की गई है, कुप्रशासन की कोटि में आता है ;

(झ) "लोकायुक्त" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ;

(ञ) "कुप्रशासन" से अभिप्राय है, कोई कार्य जो अन्यायपूर्ण, अनीतिपूर्ण, अयुक्तियुक्त, दमनपूर्ण, अनुचित, पक्षपातपूर्ण या विधि द्वारा समर्पित न हो ;

(ट) "मंत्री" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य के लिए मुख्य मंत्री से भिन्न मंत्री-परिषद् का कोई सदस्य, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा इनमें मुख्य संसदीय सचिव तथा संसदीय सचिव भी शामिल है ;

(ठ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित ;

(ड) "लोक सेवक" से शामिल है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, की धारा 21 में परिभाषित कोई व्यक्ति तथा किसी ऐसे व्यक्ति से भी अभिप्राय है, जो निम्नलिखित है या रहा है—

(i) मुख्य मंत्री ;

(ii) कोई मंत्री ;

(iii) हरियाणा राज्य विधान मण्डल का कोई सदस्य, जिसमें शामिल हैं, हरियाणा विधान सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ;

(iv) कंपनी अधिनियम, 1956, की धारा 617 के अर्थ के भीतर, किसी सरकारी कंपनी जिसमें राज्य सरकार द्वारा धारित किये गये समादत्त शेयर पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से कम न हो, के निदेशक-बोर्ड का कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो ;

(v) राज्य सरकार द्वारा निगमित, रजिस्ट्रीकृत या गठित किसी कानूनी या अकानूनी निकाय का कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो ;

(vi) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, द्वारा या उसके अधीन गठित या गठित की गई समझी गई किसी नगर निगम का कोई महापौर, वरिष्ठ उप-महापौर, उप-महापौर ;

(vii) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, द्वारा या उसके अधीन गठित या गठित की गई समझी गई किसी नगरपालिका समिति या नगरपालिका परिषद् का कोई प्रधान, उप-प्रधान ;

(viii) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994, द्वारा या उसके अधीन गठित किसी जिला परिषद् का कोई प्रधान, उप-प्रधान तथा किसी पंचायत समिति का कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ;

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

- (ix) तत्समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित विधि के अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी समिति की किसी प्रबन्ध समिति का कोई प्रधान या उप-प्रधान ;
- (x) तत्समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित या रजिस्ट्रीकृत ऐसी अन्य सहकारी समितियों के निदेशक-बोर्ड का प्रधान, उप-प्रधान, प्रबन्ध निदेशक ;
- (xi) किसी विश्वविद्यालय का कोई कुलपति या कोई प्रति कुलपति या कुल-सचिव ;
- (ढ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
- (ण) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

लोकायुक्त की नियुक्ति

3. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार छानबीन संचालित करने के प्रयोजन के लिए, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर तथा मोहर के अधीन वारंट द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जो लोकायुक्त के रूप में जाना जाएगा ;

परन्तु लोकायुक्त मुख्य मंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा जो हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता तथा किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अथवा रह चुका है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से तथा किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार-विमर्श करेगा ;

परन्तु यह और कि परामर्श का परिणाम आग्राही महत्व का होगा परन्तु मुख्य मंत्री पर बाध्य नहीं होगा।

(2) उप धारा(1) में यथा परिकल्पित किए गए परामर्श के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई अधिसूचना इसका निश्चयक सबूत होगी।

(3) लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल, अथवा उसके द्वारा, इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्ररूप में प्रतिज्ञान की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

लोकायुक्त के लिए योग्यतायें

4. कोई भी व्यक्ति, लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश नहीं है अथवा नहीं रह चुका है।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

लोकायुक्त का बोर्ड में अन्य पद धारण न करना

5. लोकायुक्त संसद का सदस्य अथवा किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा तथा लाभ अथवा दायित्व का कोई पद धारण नहीं करेगा अथवा कोई कारोबार नहीं चलाएगा अथवा कोई व्यवसाय नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होगा तथा तदनुसार, अपना पद धारण करने से पूर्व वह,

(क) यदि वह संसद अथवा किसी राज्य विधानमण्डल का सदस्य है, तो ऐसी सदस्यता से त्यागपत्र दे देगा अथवा

(ख) यदि वह लाभ अथवा दायित्व का कोई पद धारण किये हुये है, तो ऐसे पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा

(ग) यदि वह किसी राजनैतिक दल से संबंधित है, तो उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा ; अथवा

(घ) यदि वह कोई कारबार चला रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन तथा प्रबन्ध से (स्वामित्व से अपने आप को अलग न करते हुए) अपना संबंध तोड़ लेगा ; अथवा

(ङ) यदि वह कोई व्यवसाय कर रहा है तो ऐसा व्यवसाय करना निलंबित कर देगा।

लोकायुक्त का कार्यकाल तथा सेवा की अन्य शर्तें

6. (1) लोकायुक्त के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी तिथि से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ;

परन्तु—

(क) लोकायुक्त राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर के अधीन लिखकर, अपना पद त्याग सकता है तथा ऐसा त्याग पत्रा ज्योंहि स्वीकृत किया जाता है, त्योंहि प्रभावी होगा ; और

(ख) लोकायुक्त धारा 7 में विनिर्दिष्ट रीति में पद से हटाया जा सकता है।

(2) लोकायुक्त के पद से होने वाली कोई रिक्ति, तीन मास के भीतर भरी जाएगी।

(3) पद धारण की समाप्ति पर, लोकायुक्त राज्य सरकार के अधीन या राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण, सहकारी सोसायटी, सरकारी कंपनी, विश्वविद्यालय, कानूनी निगम के अधीन किसी भी हैसीयत में लोकायुक्त के रूप में पुनः नियुक्ति या किसी अन्य नियोजन के लिये अपात्र होगा।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

(4) लोकायुक्त को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो समय-समय पर उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, को उसके द्वारा धारण किये गये पद के अनुसार उपलब्ध हों :

परन्तु लोकायुक्त को उपलब्ध वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं सौदेबाजी वाले नहीं होंगे :

परन्तु यह और कि लोकायुक्त को भुगतानयोग्य भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें, उसकी नियुक्ति के बाद, उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(5) लोकायुक्त को, अथवा के सम्बन्ध में भुगतानयोग्य वेतना तथा भत्ते राज्य की संचित निधि से प्रभारित खर्च होगा।

लोकायुक्त का हटाया जाना

7. (1) लोकायुक्त को, सिवाये विधान सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा तथा उसके उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित, हरियाणा विधान सभा के अभिभाषण के बाद, पारित किये गये राज्यपाल के किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया नहीं जाएगा जो साबित किये गये अवचार अथवा असमर्थता के आधार पर, ऐसे हटाये जाने के लिये उसी सत्र में राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया हो।

(2) उप-धारा(1) के अधीन अभिभाषण को प्रस्तुत करने के लिये तथा लोकायुक्त के अवचार अथवा असमर्थता की छानबीन तथा सबूत के लिये प्रक्रिया वही होगी जो किसी न्यायाधीश को हटाये जाने के संबंध में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968, में उपबंधित है, और, तदनुसार उस अधिनियम के उपबंध, आवश्यक उपान्तरणों के अधीन रहते हुये, लोकायुक्त के हटाए जाने के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे किसी न्यायाधीश के हटाए जाने के संबंध में लागू होते हैं।

मामला जिसकी लोकायुक्त द्वारा जांच पड़ताल की जा सकती है

8. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, लोकायुक्त सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर, किसी लोक सेवक के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों अथवा शिकायतों की जांच करेगा।

(2) लोकायुक्त किसी लोक सेवक के विरुद्ध अवचार के किसी अभिकथन में उसकी जांच के प्रयोजन के लिये जहां तक वह ऐसा करना आवश्यक समझता है किसी लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण की जांच कर सकता है परन्तु लोकायुक्त ऐसे व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

मामलों का जांच के अधीन न होना

9. लोकायुक्त किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा, —
- (क) जिसके संबंध में लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन जांच करने के आदेश दिये गये हैं ; अथवा
- (ख) जो ऐसे व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध अभिकथन किया गया है, लोक सेवक के रूप में कृत्यों के निर्वहन से सम्बद्ध नहीं है ; अथवा
- (ग) "कुप्रशासन की शिकायत" से संबंधित कोई प्रशासनिक कार्य जिसमें स्वविवेक का प्रयोग अन्तर्वलित है, सिवाय जहां उसकी संतुष्टि हो गई कि स्वविवेक के प्रयोग में अन्तर्वलित तत्व ऐसी सीमा तक अनुपस्थित थे कि स्वविवेक का सही प्रयोग नहीं किया जा सकता था या भ्रष्टाचार के लिये किया गया था।

शिकायतों संबंधित उपबन्ध

10. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत लोकायुक्त को की जा सकती है —

- (क) व्यथित व्यक्ति द्वारा शिकायत की दशा में ;
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा अभिकथन की दशा में ;

परन्तु जहां व्यथित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अथवा किसी कारण से, अपने लिये कार्य करने में असमर्थ है, वहां शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो, यथास्थिति, विधिक रूप से उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता है या कोई भी व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए अनुज्ञात है।

(2) किसी अभिकथन या व्यथा वाली प्रत्येक शिकायत, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में की जाएगी तथा ऐसे शपथ-पत्र सहित होगी, जैसा विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम अथवा उस समय लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अभिरक्षा में या किसी जेल में या किसी आशय में अथवा किसी अन्य अभिरक्षित स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त को लिखा गया कोई पत्र, पुलिस अधिकारी अथवा ऐसी जेल, आश्रम अथवा किसी अन्य अभिरक्षित स्थान के भारसाधक व्यक्ति द्वारा बिना बोले तथा बिना विलम्ब लोकायुक्त को अग्रेषित किया जाएगा। यदि लोकायुक्त की संतुष्टि हो जाती है, कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे पत्र को उप-धारा(2) के उपबन्धों के अनुसार की गई शिकायत के रूप में मान लेगा।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

प्रारंभिक जांच के लिए उपबंध

11. लोकायुक्त, किसी शिकायत के प्राप्त होने पर, ऐसी शिकायत या मामले की छानबीन करने की कार्यवाही से पूर्व, ऐसी छानबीन के संचालन को सुनिश्चित करने के लिये कि क्या ऐसी जांच के लिये युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं, ऐसी प्रारंभिक जांच कर सकता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दे सकता है, जो वह ठीक समझे। यदि ऐसी प्रारंभिक जांच पर, उसे लगता है कि ऐसा कोई आधार विद्यमान नहीं है तो वह उस प्रभाव का निर्णय अभिलिखित करेगा तथा उस पर मामला बन्द कर दिया जाएगा तथा शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

जांच के संबंध में प्रक्रिया

12. (1) उप-धारा (2) में दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लोकायुक्त, जांच या छानबीन के संचालन के लिये स्वयं अपनी प्रक्रिया सोचेगा किन्तु ऐसा करते हुये यह सुनिश्चित करेगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है।

(2) लोकायुक्त एक वर्ष के भीतर शिकायत की जांच करेगा।

(3) अधिनियम के अधीन प्रत्येक जांच, जब तक लोकायुक्त कारण अभिलिखित करते हुये अन्यथा विनिश्चित नहीं करता, बंद कमरे में संचालित की जाएगी।

अभिलेख मंगवाने की शक्ति

13. लोकायुक्त को उसके द्वारा जिम्मे ली गई लोक सेवक के विरुद्ध किसी जांच या छानबीन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, निगम, सरकारी कम्पनी, सोसाइटी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा संघटन किसी महाविद्यालय या किसी अन्य व्यक्ति से रिकार्ड को मांगने की शक्ति होगी :

परन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, या भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार सुरक्षा के आधार पर या लोकहित में राज्य के मामलों से संबंधित किसी रिकार्ड या दस्तावेज को प्रस्तुत करने से रोक सकती है।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

साक्ष्य

14. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी जांच अथवा छानबीन के प्रयोजन के लिए, लोकायुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, -

(क) किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो, उसकी राय में, ऐसी जांच से संगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, किसी ऐसी सूचना देने या ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है तथा सर्वेक्षण, सीमांकन कर सकता है या उसका नक्शा तैयार कर सकता है ;

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित मामलों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(i) किसी व्यक्ति को बुलाने तथा उसकी उपस्थिति को बाध्य करने तथा उसकी शपथ पर परीक्षण करने ;

(ii) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण की अपेक्षा तथा प्रस्तुत करने ;

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने ;

(iv) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करने ; और

(v) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने।

परन्तु कोई भी व्यक्ति, समुचित सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, इस अधिनियम में दिए गए उपबंधों के आधार पर किसी ऐसी सूचना देने या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज को ऐसे प्रस्तुत करने जिससे कि किसी सूचना का प्रकटीकरण हो या किसी दस्तावेज को पेश करने जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, के उपबंधों के अधीन दंडनीय हो, अपेक्षित नहीं होगा अथवा प्राधिकृत नहीं किया जाएगा।

(2) लोकायुक्त के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता, 1860, की धारा 193 तथा धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

15. (1) जहां लोकायुक्त के पास जानकारी होने के फलस्वरूप या ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, -

(क) यह विश्वास करने के कारण हैं कि कोई व्यक्ति -

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

(i) जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई समन या नोटिस, जारी किया गया है या जारी किया जा सकता है, लोकायुक्त द्वारा संचालित किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों के लिए आवश्यक या उपयोगी या उससे संबंधित किसी सम्पत्ति, दस्तावेज या वस्तु पेश नहीं करेगा या उसे पेश नहीं करवाएगा ;

(ii) जिसके कब्जे में, कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज है तथा ऐसे धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज से पूर्णतः या अंशतः आय निरूपित होती है या ऐसी सम्पत्ति है जिसका कि किसी प्रवृत्त विधि या नियम के प्रयोजन के लिए प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है, किन्तु ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता है ;

(ख) लोकायुक्त यह समझता है कि उसके द्वारा संचालित की जाने वाली किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों के प्रयोजनों की पूर्ति आम तलाशी या निरीक्षण द्वारा की जाएगी, तो लोकायुक्त तलाशी वारण्ट जारी कर सकेगा तथा वह या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उस तलाशी वारण्ट द्वारा -

(i) किसी भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा जहां उसे संदेह पैदा होता है कि ऐसी सम्पत्ति, दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज उक्त भवन या स्थान में रखी गई है ;

(ii) उप खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी दरवाजे, सन्दूक, लाकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान-पात्र का जिसकी चाबियां उपलब्ध न हों, ताला तोड़ सकेगा ;

(iii) ऐसी तलाशी करने पर पाई गई किसी सम्पत्ति, दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का अभिग्रहण कर सकेगा ;

(iv) किसी सम्पत्ति या दस्तावेज पर पहचान चिह्न लगा सकेगा या उसके उद्धरण या प्रतियां तैयार कर सकेगा या करवा सकेगा ; या

(v) ऐसी किसी सम्पत्ति, दस्तावेज, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज पर टिप्पणी कर सकेगा या उसकी तालिका तैयार कर सकेगा ।

(2) जहां तक हो सके, उप-धारा(1) के अधीन तलाशी के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, कि धारा 100 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(3) उप-धारा(1) के अधीन जारी किया गया वारण्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 93 के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारण्ट समझा जाएगा ।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

झूठी तथा विद्वेषपूर्वक शिकायतों के लिए दण्ड

16. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर या विद्वेषपूर्वक इस अधिनियम के अधीन कोई झूठी शिकायत करता है दोषसिद्धि पर, कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है अथवा जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा और न्यायालय आदेश दे सकता है कि जुर्माने की राशि में से ऐसी राशि, जो वह ठीक समझे, उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसी शिकायत की गई थी, प्रतिकर के रूप में भुगतान की जाएगी ;

परन्तु कोई भी न्यायालय लोकायुक्त के प्राधिकार द्वारा या के अधीन की गई किसी शिकायत के सिवाए इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या संज्ञान नहीं लेगा ;

परन्तु यह और कि लोकायुक्त के प्राधिकार द्वारा अथवा के अधीन की गई शिकायत का विचारण केवल सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, में दी गई किसी बात से होते हुए भी उसको शिकायत किए जाने के बिना भी, ऐसी शिकायत में अपराध का संज्ञान ले सकता है।

लोकायुक्त की रिपोर्ट

17. (1) यदि, लोकायुक्त की, किसी शिकायत में संबंध में, जांच के बाद संतुष्टि हो जाती है कि –
(क) कोई भी अभिकथन अथवा शिकायत सिद्ध नहीं हुई है, तो वह मामले को बन्द कर देगा तथा तदानुसार सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा ;

(ख) अभिकथनों अथवा शिकायतों में से सभी अथवा कोई या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सिद्ध हुए हैं या हुआ है, तो वह लिखित रूप में रिपोर्ट द्वारा उचित सिफारिशों तथा सुझाव सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा अपने द्वारा की गई रिपोर्ट के संबंध में सम्बद्ध शिकायतकर्ता तथा लोक सेवक को सूचित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी रिपोर्ट का परीक्षण करवाएगा तथा उस पर की गई कार्यवाई के बारे में, रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीन मास के भीतर लोकायुक्त को संसूचित करेगा।

(3) लोकायुक्त इस अधिनियम के प्रशासन पर एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा।

(4) राज्यपाल उपरोक्त उप-धारा(3) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उस पर की गई कार्यवाई तथा दिए गए मामले में कार्यवाई न करने के कारणों को दर्शाते हुए एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित इसकी प्राप्ति के छह मास के भीतर राज्य विधान-मण्डल के पटल पर रखवाएगा।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

अन्तरिम निर्देश जारी करने की शक्ति

18. (1) लोकायुक्त, शिकायत की प्राप्ति के बाद, घोर अन्याय के परिहार्य के लिए, ऐसे अनन्तरिम निर्देश जारी कर सकता है, जैसा कि मामले में न्याय संगत हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी अन्तरिम निर्देश पर उसी रीति में कार्यवाही करेगा जैसा अन्तिम निर्देश के लिए उपबन्धित है।

लोकायुक्त का अमला

19. (1) लोकायुक्त, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी अधिकारियों तथा अमले को नियुक्त करेगा जिसे वह अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समूचित समझें।

(2) अधिकारियों तथा अमले का प्रवर्ग जो ऊपर उप-धारा(1) के अधीन नियुक्त किया जा सकता है तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो लोकायुक्त के परामर्श से विहित की जाएं।

अन्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग

20. (1) धारा 19 की उप-धारा(1) के उपबन्धों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना लोकायुक्त, राज्य सरकार के परामर्श से, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या छानबीन के संचालन के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा जांच अभिकरण, अथवा लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

(2) कोई अधिकारी, अभिकरण अथवा व्यक्ति जिनकी सेवाएं उप-धारा(1) के अधीन चाही गई हैं —

(क) किसी व्यक्ति को बुला सकता है तथा उपस्थिति बाध्य कर सकता है तथा उसका परीक्षण कर सकता है ;

(ख) किसी दस्तावेज की प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकता है ; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख अथवा उसकी प्रति की मांग कर सकता है।

(3) अधिकारी, अभिकरण अथवा व्यक्ति जिसकी सेवाएं उप-धारा(1) के अधीन चाही गई हैं मामले की जांच करेंगे तथा ऐसी अवधि के भीतर जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, लोकायुक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

**HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)**

सूचना की गोपनीयता

21. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी जांच-पड़ताल अथवा छानबीन के अनुक्रम में अथवा प्रयोजन के लिए, लोकायुक्त अथवा उसके अमले के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना, तथा ऐसी सूचना के संबंध में अभिलिखित किया गया अथवा एकत्रित किया गया कोई साक्ष्य गोपनीय समझा जाएगा, तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872, में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय लोकायुक्त अथवा किसी लोक सेवक को ऐसी सूचना में संबंधित साक्ष्य देने अथवा इस प्रकार अभिलिखित किए गए अथवा एकत्रित किए गए साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने का हकदार नहीं होगा।

(2) उप-धारा(1) की कोई भी बात, निम्नलिखित के लिए किसी सूचना अथवा विवरणों के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी —

(क) जांच-पड़ताल अथवा उस पर तैयार की जाने वाली किसी रिपोर्ट अथवा ऐसी रिपोर्ट पर की जाने वाली किसी कार्रवाई अथवा किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए; अथवा

(ख) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, के अधीन किसी अपराध के लिए किन्हीं कार्यवाहियों अथवा भारतीय दण्ड संहिता, 1860, के अधीन अथवा इस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा(1) तथा (3) के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने अथवा गढ़ने के किसी अपराध के प्रयोजनों के लिए ; अथवा

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

22. लोकायुक्त के विरुद्ध अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी, अभिकरण अथवा व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

राज्य सरकार के समक्ष लम्बित मामलों को मांगने की शक्ति

23. (1) जहां लोकायुक्त, किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी शिकायत की जांच पड़ताल करने का निर्णय करता है, वहां वह राज्य सरकार से अभिनिश्चित कर सकता है कि क्या उक्त लोक सेवक के विरुद्ध सारभूत रूप से समरूप अभिकथनों की कोई शिकायत छानबीन के अधीन हैं, और यदि ऐसा है, तो वह उसका अभिलेख मंगवा सकता है।

(2) यदि लोकायुक्त, उप-धारा(1) में निर्दिष्ट अभिलेख के परीक्षण पर, स्वयं मामले की जांच-पड़ताल करने का निर्णय लेता है, तो वह तदनुसार राज्य सरकार को सूचित करेगा तथा शिकायत पूर्णतः

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

अथवा अंशतः, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच-पड़ताल के लिए उसका हस्तान्तरित की गई समझी जाएगी।

(3) जब कभी लोकायुक्त स्वयं मामले की जांच न करने का निर्णय लेता है, तो वह शिकायत को राज्य सरकार को लौटा देगा।

अन्य उपचारों का वर्जित न किया जाना

24. इस अधिनियम के अधीन किसी जांच अथवा कार्यवाहियों का संस्थापन, उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उपलब्ध उपचार चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए, कोई रोक नहीं होगी।

निरसन, व्यावृत्ति तथा अध्यारोही प्रभाव

25. (1) हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 1997 (1998 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21) तथा हरियाणा लोकायुक्त (निरसन) अध्यादेश, 1999 (1999 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) किसी संविदा, विधि या उनके अधीन बनाए गए नियमों में, दी गई किसी बात के होते हुए भी, लोकायुक्त, अपने कार्यालय की शेष अवधि के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) 1998 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21 के निरसन से पूर्व लोकायुक्त के सम्मुख सभी लम्बित मामलों की, इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त द्वारा जांच की जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति

26. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्य रूप देने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त क्रमवर्ती सत्रों की, समाप्ति से पूर्व सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाती है या सदन सहमत हो जाता है कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् यह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु ऐसा कोई उपांतरण या निष्प्रभाव उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 14, 2003
(PHGN. 23, 1924 SAKA)

अनुसूची
(देखिए धारा 3(3))

मैं, हरियाणा के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने पर, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य—निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं, सम्यक् रूप से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवके से अपने पद के कर्तव्यों का, भय या पक्षपात, स्नेह, पूर्वग्रह या द्वेष के बिना पालन करूंगा।

आर. एस. मदान,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।